

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 20th June, 2006

S.O.58/H.A.6/2003/S 59/2006. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 9 /H.A.6/2003/S.59/2006, dated the 19th May, 2006, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules B and C appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), –

1 in Schedule B, –

- (i) in serial number 1, under heading “C. Tractor Drawn Agricultural Implements”, in item 11, for sub-item (i), the following sub-item shall be substituted, namely:-

1	2
---	---

“(i) Rims”;

- (ii) for serial number 3 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely: –

1	2
---	---

“3 All goods sold to the serving military personnel, ex-servicemen, parents of deceased unmarried service officers and widow of servicemen by the Canteen Store Department direct or through the authorised canteen contractors or through unit run canteens.”;

- (iii) after serial number 28 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely: –

1	2
---	---

“28A Gur, Shakkar and Jaggery”;

- (iv) for serial number 30 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
---	---

“30 Human Blood including blood components like platelets, red blood corpuscles (RBC), plasma, anti hemophilic factors, albumin and gamma globulin”;
--

- (v) after serial number 60 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added at the end, namely:-

1	2
---	---

“61 Crudely tanned leather (called “half tanned leather”) usually tanned by villagers in villages (other than that tanned in a factory)”;

2. in Schedule C, -

(i) after serial number 16 and entry thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"16A	Buttons
16B	Bricks made principally of fly-ash (with fly-ash content of more than 50%);

(ii) serial number 33 and entry thereagainst shall be omitted;

(iii) after serial number 39 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"39A	Honey";

(iv) after serial number 48 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"48A	Katha";

(v) for serial number 58 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
"58	Paper and plastic cups, paper pulp moulded trays";

(vi) after serial number 71 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"71A	Pump sets below 5 Horsepower";

(vii) after serial number 92 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"92A	Toys excluding electronic toys;"

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 20 जून, 2006

संख्या का0आ0 58/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2006.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 9/ह0अ06/2003/धा059/2006, दिनांक 19 मई, 2006, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में,

I अनुसूची ख में,—

- (i) क्रम संख्या 1 में "इ. ट्रैक्टर चलित कृषि यन्त्र", शीर्ष के नीचे, मद 11 में, उप मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

1	2
"(i)	रिमज";

- (ii) क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

1	2
"3.	सभी माल, जो सेवारत सैनिक कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों, मृतक अविवाहित सैनिक अधिकारियों के माता पिता तथा सैनिकों की विधवाओं को कैन्टीन भण्डार विभाग द्वारा सीधे या प्राधिकृत कैन्टीन ठेकेदारों के माध्यम से या यूनिट चालित कैन्टीनों के माध्यम से बेचे जाएं" ;

- (iii) क्रम संख्या 28 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

1	2
"28क	गुड़, शक्कर तथा जैगरी";

- (iv) क्रम संख्या 30 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1	2
"30.	मानव रक्त जिसमें शामिल है रक्त संघटक जैसे कि बिम्बाणु , लाल रक्त कणिका (आर बी सी), प्लाज़मा, एंटी हेमोफिलिक फैक्टरस, एलबूमिन तथा गामा ग्लोबूलिन";

- (v) क्रम संख्या 60 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:—

1	2
"61	क्रूडली टैण्ड लैदर (कॉलड "हॉफ टैण्ड लैदर") जो आमतौर पर ग्रामिणों द्वारा गांव में टैण्ड किया जाता है (जो फैक्टरी में टैण्ड किया गया हो से भिन्न)";

II अनुसूची ग में,—

- (i) क्रम संख्या 16 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
"16क	बटन्स
16ख	मुख्य रूप से फलाई-ऐश से निर्मित ईटें (50 प्रतिशत से अधिक फलाई-ऐश मिश्रण सहित)";

- (ii) क्रम संख्या 33 तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा;

- (iii) क्रम संख्या 39 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
"39क	शहद";

- (iv) क्रम संख्या 48 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

1	2
"48क	कत्था";

- (v) क्रम संख्या 58 तथा उसके समाने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

1	2
"58	कागज़ तथा प्लास्टिक के कपस, कागज़ के गुद्दे से बनी मोलडिड ट्रेज";

- (vi) क्रम संख्या 71 तथा उसके समाने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्,—

1 2

"71क पांच हार्स पावर से नीचे के पम्प सैट्स";

(vii) क्रम संख्या 92 तथा उसके समाने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

1 2

"92क इलैक्ट्रोनिक खिलौनों को छोड़कर खिलौने";

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।